पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

26.8.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। विभागीय अनुपस्थित।
वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना
पत्र वास्ते संशोधन करने बाबत
पेश की गई। बहस सुनी गई। ~~मिसल~~
दौराने बहस निवेदन किया कि टंकण
त्रुटि के आवेदन पत्र में खसरा नम्बर
647/563 के स्थान पर ख.सं. 766/647,
767/647 लिखा गया है, जो कहीं नहीं
है, प्रकरण आदेश में लिखा गया है दुरस्त करके
ख.सं. 766/647, 767/647 के स्थान पर
647/563 दुरस्त करते हुए आदेश पारित
किया जावे। हमने वकील प्रार्थी को सुना।
प्रकरण में बहस सुनी जा चुकी है
और प्रकरण आदेश में लिखा गया है मिसल में
पाया, कि ख.सं. 766/647, 767/647 गलत
अंकन आवेदन के हुए हैं, जो कि सही ख.सं.
647/563 है, जो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार
की जाकर आवेदन पत्र में जहां-जहां ख.सं.

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

766/647, 767/647 अंकित है। उक्त ख. सं. 647/563 पर्ची भाते/ प्रकरण प्रार्थी की स्वीकार योग्य है। प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित आदेश पूर्णतः से निरस्त किया जाकर सुनाया गया और शामिल रिकार्ड किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर आरक्षित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Reader
Procured Dr.
सेवामें,
Adv. Sh.
राजस्

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद सिरवी, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–49 / 2019

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थी

प्रार्थी	विप्रार्थी
सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपुत निवासी पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर	.1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना 2.देवीसिंह पुत्र हुकमसिंह 3.दानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपुत निवासी पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.एकतरफा– विप्रार्थी संख्या 1 से 3

आदेश

दिनांक– 26.8.19

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि मौजा पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **567** रकबा 1.5783 हैक्ट.,खसरा संख्या **650 / 535** रकबा 0.2509 हैक्ट.,खसरा संख्या **564** रकबा 0.1700 हैक्ट.,खसरा संख्या **647 / 563** रकबा 7.5676 हैक्ट.,खसरा संख्या **59,61,64** कुल रकबा 15.7990 हैक्ट. व मौजा पर्वतनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या **508,512** व **513** कुल रकबा 9.7124 हैक्टयर एवं मौजा हरमलपुरा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **4** रकबा 0.3723 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसका प्रार्थी सहखातेदार है,कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजानसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

स्थान पर उक्त खेतों में सुजानसिंह के स्थान पर हल्का पटवारी की भूलवंश से सुजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि सुजराजसिंह के स्थान पर सुजानसिंह दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जबाव पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के आवेदन स्वीकार कर इकबालीया जबाव पेश किया गया।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुऐं कथन किया कि पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **567** रकबा 1.5783 हैक्ट.,खसरा संख्या **650/535** रकबा 0.2509 हैक्ट.,खसरा संख्या **564** रकबा 0.1700 हैक्ट.,खसरा संख्या **647/563** रकबा 7.5676 हैक्ट.,खसरा संख्या **59,61,64** कुल रकबा 15.7990 हैक्ट. व मौजा पर्बतनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या **508,512** व **513** कुल रकबा 9.7124 हैक्टयर एवं मौजा हरमलपुरा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **4** रकबा 0.3723 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदान दर्ज है,कि प्रार्थी के पिता हुकमससिंह के देहांत होने पर विरासत नामान्तकरण भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी की भूल से प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजानसिंह दर्ज करने के स्थान पर सुजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह दायर किया गया। प्रार्थी गांव का निवासी होने के साथ अनपढ भी है,जिसके कारण फोतगी नामान्तकरण में गलत दायर नाम की जानकारी नहीं हो पाई। अभी प्रार्थी द्वारा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए के.सी.सी. ऋण लेने के लिए हल्का पटवारी से खेत की जमाबंदी की नकल देने के कहां गया,तो प्रार्थी को बताया गया कि उसका विवादित भूमि में गलत नाम सुजराजसिंह इन्द्राज हो रखा है। जबकि प्रार्थी का सरकारी दस्तावेजात में सही नाम सुजानसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

रहा हैं,आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार सिवाना ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजराजसिंह न होकर सुजानसिंह है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज सुजराजसिंह के स्थान पर सुजानसिंह दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जबाव का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **567** रकबा 1.5783 हैक्ट.,खसरा संख्या **650/535** रकबा 0.2509 हैक्ट.,खसरा संख्या **564** रकबा 0.1700 हैक्ट.,खसरा संख्या **647/563** रकबा 7.5676 हैक्ट.,खसरा संख्या **59,61,64** कुल रकबा 15.7990 हैक्ट. व मौजा पर्बतनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या **508,512** व **513** कुल रकबा 9.7124 हैक्टयर एवं मौजा हरमलपुरा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 0.3723 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम सुजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह इन्द्राज है। जबकि ग्राम पादरड़ी कलां तहसील सिवाना की खसरा संख्या 63 रकबा 3.6179 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह दर्ज है। इससे साबित होता है,कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजराजसिंह न होकर सुजानसिंह है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जिसकी ताहिद तहसीलदार सिवाना ने अपने जबाव में स्वीकार किया है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह है। विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार सिवाना ने प्रार्थी का नाम सुजानसिंह दुरूस्त करने की अनुशंसा की गई है,इसी प्रकार ग्राम पंचायत पादरड़ी कलां ने भी अपने अभिशंसा प्रमाण पत्र दिनांक 27.6.2019 में उल्लेखित किया है,कि हुकमसिंह के तीन पुत्र प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 कमशः सुजानसिंह,देवीसिंह व दानसिंह है। प्रार्थी का नाम सुजराजसिंह न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

होकर सुजानसिंह हैं। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने इकबालीया जबाव में स्वीकार किया है,कि प्रार्थी उनका सगा भाई है,और विवादित भूमि में सुजराजसिंह के स्थान पर सुजानसिंह किया जाता है,तो उन्हें कोई आपर्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम सुजराजसिंह इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुजानसिंह है,जो प्रार्थी विवादित भूमि में सुजराजसिंह के स्थान पर सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **567** रकबा 1.5783 हैक्ट.,खसरा संख्या **650/535** रकबा 0.2509 हैक्ट.,खसरा संख्या **564** रकबा 0.1700 हैक्ट.,खसरा संख्या **647/563** रकबा 7.5676 हैक्ट.,खसरा संख्या **59,61,64** कुल रकबा 15.7990 हैक्ट. व मौजा पर्बतनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या **508,512** व **513** कुल रकबा 9.7124 हैक्टयर एवं मौजा हरमलपुरा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या **4** रकबा 0.3723 हैक्टयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि सुजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह के स्थान पर सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिवाना तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 26.08.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.11 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: